

बैंक प्रतिभूति के लिए प्रोफार्मा

..... पर एफएम सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए बैंक प्रतिभूति

सेवा में,

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से
कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति (अनुमति प्रदान करने वाला) को आवेदन तथा अनुमति प्रदान करने वाले और अनुमति प्राप्त करने वाले के मध्य सम्पन्न किए जाने वाले अनुमति प्रदान करने वाले करार (इसमें इसके बाद जीओपीए कहा गया है) जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि अनुमति प्राप्त करने वाला यदि उसे अनुमति प्रदान कर दी गई है तो अनुमति प्रदान करने वाले को उस अनुमति की निबंधन और शर्तों के उचित अनुपालन तथा निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में इनमें निर्धारित की गई राशि के लिए किसी अनुसूचित बैंक से बैंक प्रतिभूति प्रदान करेगा, की निबंधन और शर्तों के आधार पर में एफएम सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने, इसका अनुरक्षण करने तथा इसे प्रचालित करने की* (अनुमति प्राप्त करने वाले का नाम और पता) को अनुमति प्रदान करने के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ है। जबकि हम बैंक (बैंक के नाम, पते और अन्य ब्यौरे का उल्लेख किया जाए) जिसकी अभिव्यक्ति में जब तक इसके संदर्भ अथवा अर्थ में प्रतिकूल बात न हो, हमारे सभी उत्तराधिकारी, प्रशासक और प्रबंधक, बैंकिंग कम्पनी (उपक्रम का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसमें इसके बाद "संबंधित बैंक" के रूप में उल्लेख किया गया है) के तहत गठित किया कारपोरेट निकाय जिसका मुख्यालय में और अन्य पर शाखा कार्यालय है, एतद्वारा अनुमति प्रदान करने वाले को स्पष्ट रूप से और बिना शर्त यह आश्वासन देते हैं कि अनुमति प्राप्त करने वाला जिसकी अभिव्यक्ति में जब तक इसके संदर्भ और अर्थ में प्रतिकूल बात न हो, इसके उत्तराधिकारी, प्रशासक, प्रबंधक और प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो, यदि अनुमति प्रदान की गई तो उक्त अनुमति की निबंधन और शर्तों के अनुसार सभी अनिवार्य सेवाएं तथा उक्त अनुमति के लिए तथा संबंध में

यथा-अपेक्षित सेवाएं प्रदान करेगा और इनका निष्पादन अनुमति प्रदान करने वाले को संतुष्ट करने वाला होगा।

इसलिए अब हम एतद्वारा यह पुष्टि करते हैं कि हमने यह प्रतिभूति दी है और हम अनुमति प्राप्त करने वाले की ओर से आपको प्रदान किए जाने वाले कुल 25,000/-रूपए (केवल पच्चीस हजार रूपए) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, हम आपको आपकी प्रथम लिखित मांग पर बिना किसी नुकता-चीनी, आपत्ति, तर्क, आशंका, सहारा, प्रतिरोध अथवा विरोध के उपर्युक्त उल्लिखित 25,000 रूपए (केवल पच्चीस हजार रूपए) की सीमा के भीतर निर्धारित कोई राशि अथवा राशियां तत्काल और इसमें निर्धारित की गई राशि के लिए आपकी मांग के संबंध में आपकी ओर से बिना कोई साक्ष्य दिए अथवा आधारों अथवा कारणों के संबंध में बिना पूछे और/अथवा अनुमति के संदर्भ के बिना भुगतान करने का वचन देते हैं। इसके अतिरिक्त अनुमति प्रदान करने वाले की ओर से बैंक से की गई इस प्रकार की मांग निर्णायक होगी और अनुमति प्रदान करने वाले तथा अनुमति प्राप्त करने वाले के मध्य किसी मतभेद के बारे में किसी विवाचन न्यायालय में लम्बित किसी विवाद अथवा इस प्रकार के किसी अन्य मामले के होते हुए भी यह बाध्यकारी होगी। यह प्रतिभूति अनुमति प्राप्त करने वाले के परिसमापन, बंद होने, विघटन होने अथवा दिवालिया होने से निर्धारित/समाप्त/प्रभावित नहीं होगी तथा बैंक पर वैध, बाध्यकारी तथा प्रचालित रहेगी।

हम, बैंक एतद्वारा इस बात पर सहमत है कि अनुमति प्रदान करने वाले का अनुमति प्राप्त करने वाले के संबंध में यह निर्णय कि क्या अनुमति प्राप्त करने वाला यथा-उपर्युक्त उल्लिखित अपने दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वाह करने में असफल हो गया है अथवा इनमें लापरवाही कर रहा है और अथवा उक्त अनुमति की निबंधन और शर्तों के अनुसार प्रदान की गई सेवा कमियों और खामियों से मुक्त है अथवा नहीं तथा इसके तहत बैंक द्वारा अनुमति प्रदान करने वाले को देय राशि बैंक पर अंतिम तथा बाध्यकारी होगी।

हम एतद्वारा ऋण की मांग हमें प्रस्तुत करने से पहले अनुमति प्राप्त करने वाले से आपको उक्त ऋण की मांग करने की अनिवार्यता से छूट प्रदान करते हैं और यह आश्वासन देते हैं कि हम प्राथमिक रूप से उत्तरदायी हैं न कि केवल अनुमति प्राप्त करने वाले की प्रतिभूति तथा अनुमति प्रदान करने वाला अनुमति प्राप्त करने वाले के विरुद्ध कोई कार्यवाही किए बिना प्रथम दृष्टया बैंक के विरुद्ध मुख्य ऋणी के रूप में इस आश्वासन को लागू करने का पात्र होगा।

इसके अतिरिक्त हम इस बात से भी सहमत हैं कि इस अनुमति अथवा इसके तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों अथवा किसी अनुमति दस्तावेज की शर्तों में किसी परिवर्तन अथवा वृद्धि अथवा किसी अन्य संशोधन से हम इस प्रतिभूति के तहत अपनी किसी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होंगे और हम इस प्रकार के किसी परिवर्तन, वृद्धि अथवा संशोधन इत्यादि के बारे में सूचना देने से छूट प्रदान करते हैं।

हम बैंक एतद्वारा यह घोषणा करते हैं कि हम निम्नलिखित से सहमत हैं :

(क) इसमें दिया गया आश्वासन पाँच वर्ष की अनुमति अवधि समाप्त होने तक पूर्णतः लागू तथा प्रभावी रहेगा। यह आश्वासन इस अनुमति के अधिकार द्वारा और तहत अनुमति प्रदान करने वाले की सभी देय राशियों का विधिवत रूप से भुगतान किए जाने तक तथा इसके दावों का निपटारा किए जाने अथवा इन्हें पूरा किए जाने तक अथवा अनुमति प्रदान करने वाले द्वारा यह सूचित किए जाने तक कि अनुमति प्राप्त करने वाले ने उक्त अनुमति की सभी निबंधन और शर्तों को पूरी तरह और उपयुक्त रूप से पूरा किया है और तदनुसार इस आश्वासन को पूरा कर दिया गया है।

(ख) अनुमति प्रदान करने वाले को इसके तहत हमारी सहमति के बिना और हमारे कर्तव्यों को किसी प्रकार से न निभाते हुए उक्त अनुमति की किसी निबंधन और शर्त को परिवर्तित करने तथा समय-समय पर उक्त अनुमति प्राप्त करने वाले के किसी कार्य के निष्पादन का समय बढ़ाने अथवा उक्त अनुमति प्राप्त करने वाले के विरुद्ध अनुमति प्रदान करने वाले द्वारा प्रयोग की जाने योग्य किसी शक्ति को किसी समय तक अथवा समय-समय पर निलम्बित करने और उक्त अनुमति से संबंधित किसी निबंधन और शर्त को निलम्बित करने अथवा लागू करने की पूरी स्वतंत्रता होगी तथा हम उक्त अनुमति प्राप्त करने को प्रदान की जा रही किसी घट-बढ़ अथवा विस्तार अथवा स्थगन अधिनियम अथवा अनुमति प्रदान करने की ओर से किसी चूक अथवा अनुमति प्रदान करने वाले द्वारा उक्त अनुमति प्राप्त करने वाले को प्रदान की गई किसी रियायत अथवा उसे ऐसा कोई मामला अथवा वस्तु प्रदान करने जो प्रतिभूति से संबंधित कानून के तहत अन्यथा हमें इस प्रकार मुक्त करने के संबंध में इस प्रावधान को प्रभावित करेगी, को छोड़कर इन कारणों से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होंगे।

(ग) ऐसा कोई दावा जो अनुमति प्राप्त करने वाले के विरुद्ध हमारे पास है वह इसके तहत पूर्व भुगतान तथा हमारे सभी कर्तव्यों के पूर्णतः निष्पादन की शर्त के आधार पर

इसके अधीन होगा और हम अनुमति प्रदान करने वाले की लिखित पूर्व-अनुमति के बिना इस प्रकार के किसी भुगतान अथवा निष्पादन के संबंध में किसी विधिक अधिकार अथवा उपचार का इतनी लम्बी अवधि तक प्रयोग नहीं करेंगे कि इसके तहत हमारे कर्तव्य अधूरे और शेष रह जाएं।

(घ) यह प्रतिभूति अपरिवर्तनीय होगी और इसके तहत हमारे कर्तव्य हमारे द्वारा अथवा अनुमति प्राप्त करने वाले द्वारा किसी पूर्व सूचना की शर्त के अधीन नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारे नियमों, अनुमति प्राप्त करने वाले के नियमों अथवा अनुमति प्रदान करने वाले के नियमों में किसी परिवर्तन से यह प्रतिभूति प्रभावित नहीं होगी।

(ड.) बैंक अनुमति प्रदान करने वाली पूर्व सहमति के बिना इस प्रतिभूति को बीच में ही रद्द नहीं करेगा।

अपने नियमों के तहत बैंक इस प्रतिभूति को शक्ति प्रदान करता है और श्री जिन्होंने बैंक की ओर से हस्ताक्षर किए हैं इस प्रतिभूति को निष्पादित करने के लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत हैं।

बैंक अथवा अनुमति प्राप्त करने वाले के नाम, नियमों तथा पते में कोई परिवर्तन होने के कारण यह प्रतिभूति समाप्त अथवा प्रभावित नहीं होगी।

यह प्रतिभूति आज की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए और द्वारा दायित्व में कमी प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की तारीख से 28 दिनों तक वैध होगी।

तारीख

प्रतिभूति देने वाले के लिए हस्ताक्षर और मोहर

.....

बैंक का नाम

पता

निम्नलिखित की उपस्थिति में :

गवाह :

(नाम और व्यवसाय)

1.

2.